कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (मध्यप्रदेश)

e-mail- dcourtsag-mp@nic.in contact no. 07582-263701

–:: निविदा ::–

क्रमांकः 599 / दो–12–14 / 65 सागर, दिनांक / 06 / 2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर सागर में वित्त वर्ष 2019–20 के लिये वाहन स्टैंड की निविदायें अंतिम तिथि दिनांक 17.07.2019 को सायंकाल 5:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तो के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक / हमदस्त के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं :–

(1) वाहनों को स्टैंड पर रखने की दरें :–

(ए) साईकिल –रूपये 2 / –प्रतिदिन अथवा रूपये 40 / –प्रतिमाह

(बी) मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड टू–व्हीलर –रूपये 5 / –प्रतिदिन अथवा रूपये 100 / –प्रतिमाह

(सी) चार पहिया वाहन – रूपये 10 / –प्रतिदिन अथवा रूपये 200 / –प्रतिमाह

(डी) न्यायिक अधिकारियों / तृतीय–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अभिभाषक संघ सदस्यों को अपने वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है। उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निःशुल्क पात्रता होगी।

(ई) श्री चतुर्भुज सिंह राजपूत, एडव्होकेट के आफिस के सामने से लेकर न्यायालय परिसर के चारों ओर तक का क्षेत्र आम जनता के वाहनों को रखने हेतु निर्धारित होगा। उक्त निर्धारित स्थान पर आम जनता के वाहनों को रखने के लिये निर्धारित शुल्क वसूल करने का अधिकार अनुबंध ग्रहीता को होगा।

(2) लोक कल्याण हेतु ठंडे पानी के मटके / प्याऊ स्टैंड के समीप स्थापित करनी होगी।

(3) विभागीय क्रय समिति द्वारा ई–निविदा की वरीयता चयन करने पर सूचित करने के पश्चात दिनांक 24.07.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक रूपये 15,000 / –(अंकन पंद्रह हजार रुपये मात्र) अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (म0प्र0) के नाम जमा करने पर ही ई–निविदा अंतिम रूप से मान्य की जाकर दिनांक 01.08.2019 से दिनांक 31.07.2020 हेतु वाहन स्टेंड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने पर अनुबंध की शेष राशि तीन दिन में जमा कर वाहन स्टेंड संचालन की अनुमति दी जावेगी।

(4) वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध ग्रहीता की होगी।

(5) दिनांक 24.07.2019 तक अधिकतम अधिमान्य निविदादाता के द्वारा शेष वार्षिक अनुबंध की राशि अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासन हित में राजसात कर वित्तीय अधिकतम दर से संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(6) अर्नेस्ट मनी रूपये 15,000 / – (अंकन पंद्रह हजार रूपये मात्र) की चार गुना राशि 60,000 / – (अंकन साठ हजार रूपये मात्र) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबंध दर से उच्चतम अनुबंध दर की निविदायें विचारणीय होगी।

(7) विभागीय क्रय समिति की सिफारिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के अनुमोदन पर तत्काल अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर ही अधिकतम दर की निविदा स्वीकृत कर शेष राशि जमा करने की सूचना दी जावेगी।

क्रमशः..2..

(8) उक्त ई–निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर होगे।

(9) शासकीय कारणों से उक्त ई–निविदा किसी भी समय किसी भी प्रकम पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

(10) वार्षिक अनुबंध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः अनुबंध प्रकिया प्रारंभ की जा सकेगी।

(11) किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा जिले के लिये बनाई गई शिकायत निवारण समिति जिसमें जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य सदस्यगण होगें, के द्वारा निराकरण किया जायेगा।

संलग्न :– निविदा फार्म ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म0प्र0)

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

1- Rate Quotation of the Tenderer -------------------------------

2- Earnest Money Rupees. 15000/- Will be deposited after approval of tender by Head of Department Office.

3- PAN No.----------------------------Enclose copy of current income Tax return.

4- TIN No.---------------------------- Enclose copy of live registration.

The terms & conditions of the tender are Acceptable to me/us.

Signature ----------------
Name & Address with Seal & date-------------

Phone No. ----------------------------------
Mobile No,----------------------------------
Fax ---
E-mail--